

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 51 : Refund voucher**

A refund voucher referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
  - (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters - hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
  - (c) date of its issue;
  - (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
  - (e) number and date of receipt voucher issued in accordance with provisions of rule 50;
  - (f) description of goods or services in respect of which refund is made;
  - (g) amount of refund made;
  - (h) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (i) amount of tax paid in respect of such goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
  - (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
  - (k) signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 51 : प्रतिदाय वाउचर**

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट प्रतिदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;
- (ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह – हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमशः “-” और “/” के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ;
- (ग) जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो;
- (ङ) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख;
- (च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है;
- (छ) प्रतिदाय की गई रकम;
- (ज) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ञ) क्या कर विलोम प्रभार आधार पर संदेय है; और
- (ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।